ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 104-105**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

मानवाधिकार के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका

डॉ0 दुर्गेश कुमार मिश्र
सहायक आचार्य, (शिक्षा संकाय), जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्याय चित्रकूट (उ0प्र0) भारत

Received-10.04.2025, Revised-18.04.2025, Accepted-24.04.2025 **E-mail : vats.durgesh2010@gmail.com**

सारांशः ***मनुष्य भू–धरा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह हर तरह के कार्य को पूर्ण करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है। ऐसे में मानव को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव इन संसाधनों की सहायता से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम करता है इस प्रकार के कार्य में संविधान प्रदत्त अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही मानव के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन होता है। ऐसे में देखा जाए तो मानव की दशा एवं दिशा प्रदान करने का कार्य प्रदत मानवाधिकारों से होता है। मानवाधिकार को जन–जन तक पहुंचने में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो मानस पटल पर इससे संबंधित विचारों को अंकित कर मानव को अधिकारों को जानने हेतु मानव को चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिशा में शैक्षणिक संस्थाएं, पाठ्यक्रम, पाठ्य क्रियाएं, तकनीकी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मानवाधिकार को जन–जन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।***

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, संरक्षण, शिक्षा की भूमिका, भू–धरा, विवेक, संविधान प्रदत्त अधिकार, दशा एवं दिशा

प्रस्तावना–मानव शरीर ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, परंतु मानव के चिंतन ने प्रकृति प्रदत चीजों को अपने स्वार्थ सिद्ध हेतु विभिन्न तरीकों को अपना रहा है, जिसका असर समस्त मानव जीवन पर पड रहा है, क्योंकि प्रकृति ने मानव को सफल एवं समृद्धमय जीवन यापन करने हेतु निःशुल्क जीवन दायिनी रूपी सेवाएं प्रदान की है। समाज मानव के विकास हेतु प्राकृतिक एवं संविधान प्रदत अधिकारों से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ऐसे में हम मानवाधिकार के सामान्य अर्थ पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं, इसका अर्थ उन सभी अधिकारों से है जो मानव के गौरवपूर्ण और सम्मानित जीवन के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार को किसी व्यक्ति या क्षेत्र विशेष के लिए सीमित नहीं किया सकता है, क्योंकि मानव अधिकार एक ऐसा विषय है, जो किसी व्यक्ति या क्षेत्र समाज राष्ट्र को ही नहीं बल्कि समस्त मानव व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मानवाधिकार की व्याख्या करते हुए भारतीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 2 घ मे कहा गया है, कि मानव अधिकारों से तात्पर्य संविधान द्वारा गारंटी के तथा अंतरराष्ट्रीय संविधान में सम्मिलित एवं भारतीय न्यायालय द्वारा परावर्तनी व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता एवं गरिमा से है। उपर्युक्त समस्त बातों से यह स्पष्ट है कि मानवाधिकारों का महत्व मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। मानवाधिकार अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही रहे बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है अब सबसे पहले अधिकारों का मुद्दा उठता है तो मानवाधिकार शब्द के अंतर्गत ही अधिकार को भी समझना होगा अधिकार से संबंध हेराल्ड लास्की ने कहा ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियों से है, जिसके बिना सामान्य कोई व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इस प्रकार मानवाधिकार मानव जीवन जीने के मूल अधिकार है।''

अतः मानवाधिकार को हम वे अधिकार कह सकते हैं, जो मानव को मानव होने के नाते मिलनी चाहिए। जब मानव धरती पर आता है, तो जन्म के साथ ही उसका अधिकार बनता है कि वह अपना सांसारिक जीवन संतोष, सुरक्षा, आनंद में बीते समाज और सरकार उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु संकल्पित होकर विविध बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें और उसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें जिससे मनुष्य अपना जीवन सुख एवं समृद्धमय तथा सुरक्षा के साथ जी सके। मानव को प्राप्त होने वाला यह अधिकार ही मानवाधिकार कहलाता है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार इत्यादि प्रदान किए गए हैं। इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के इसको अधिकारों के रूप में प्रदान करने वाले संविधान निर्माता ने विभिन्न देशों के संविधान रूपी समुद्र का मंथन करने के पश्चात मोती रूपी मौलिक अधिकारों को हमें प्रदान किया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसे हम अपने मन मस्तिष्क में धारण करते हुए अपने व्यवहार में लाएं। इस पुनीत कार्य को अपनी जामा पहनाने में शिक्षा एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि शिक्षा वह साधन है, जो मानव के अधिकारों के पालन के लिए अंतर प्रेरित करती है तथा इस योग्य बनाती है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति शिक्षा इत्यादि को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्थानांतरित करते रहते हैं, तभी हम अपने आदर्शों मूल्य संस्कारों विचारों को सुरक्षित कर सकते हैं अब प्रश्न उठता है? कि शिक्षा मानवाधिकार को कैसे संरक्षण प्रदान करती है। इस जानकारी हेतु हमें शैक्षिक व्यवस्था को समझना होगा क्योंकि यही वे माध्यम है जिनके द्वारा हम भारतीय संविधान में वर्णित मानवाधिकारों को जन–जन तक पहुंचाकर उसकी महत्ता को समझाने का प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार के कार्य में शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न मानवाधिकार से संबंधित पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया जाता है मानव हित हेतु यह पुनीत कार्य करने में विभिन्न शैक्षिक व इससे संबंधित कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिनका विवरण निम्नलिखित है।

शैक्षणिक संस्थाएं– शैक्षणिक संस्थाएं मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं, साथ ही व्यक्ति को इस योग्य बनाती हैं, जिससे कि वह अपनी योग्यता एवं क्षमता का सही ढंग से उपयोग कर समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसलिए विद्यालय को समाज की लघु इकाई कहा जाता है जहां समाज के विभिन्न धर्म वर्ग क्षेत्र जाति के बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते हैं एवं उससे लाभान्वित होकर अपना विकास करते हैं। ऐसे में शिक्षा के विभिन्न स्तर पर देखा जाए तो समाज के सभी तरह के लोगों हेतु जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, स्त्री, दिव्यांग, पिछड़े, वंचित लोगों के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कि वे अपनी क्षमताओं का विकास इन विविध संस्थानों में जाकर कर सकें एवं अपने अधिकारों को जानकर अपना चतुर्थी विकास करें। इस प्रकार इन संस्थाओं के द्वारा मानवाधिकार को बढ़ावा मिल रहा है।

पाठ्यक्रम– शैक्षिक जगत में पाठ्यक्रम एक ऐसा विविध जानकारी एवं गतिविधियों को समेटे ज्ञान का पुंज है, जो शैक्षिक संस्थानों में विविध पाठ्यक्रमों की सहायता से मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम विद्यालय के समस्त गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करता है। पाठ्यक्रम में मानव के अधिकार कर्तव्य जीवन उपयोगी बातें सम्मिलित रहती हैं। पाठ्यक्रम में यह बातें सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक रूप से बच्चों को विविध प्रकार की जानकारी विविध मानवीय

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

जीवन से संबंधित क्रियो को करने हेतु प्रेरित करती है, जिससे कि मानव अपने अधिकार से परिचित हो सके। इस दिशा में पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे पर्यावरण शिक्षा समाजशास्त्र ,नागरिक शास्त्र राष्ट्र गौरव, मानव अधिकार शिक्षा शांति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, हिंदी, संस्कृत, के माध्यम से इससे संबंधित जानकारी प्रदान कर मानवाधिकार से युवा पीढ़ी को अवगत कराया जाता है इसमें सेमिनार कार्यशाला कॉन्फ्रेंस इत्यादि को पाठ्यक्रम का हमेशा बनाकर विविध प्रकार की जानकारी को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि मानवाधिकार से विद्यार्थी परिचित हो होकर भविष्य में इसके संरक्षण हेतु अपना योगदान दे सकें।

पाठ्य सहगामी क्रियाएं– विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान के द्वारा अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता, बल्कि उनके पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के शैक्षिक गतिविधियों को शामिल कर उसके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान करने का काम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। पाठ्य सहगामी में क्रियाएं पाठ्यक्रम के साथ–साथ छात्रों में सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार की सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, स्काउट गाइड, खेलकूद, वाद–विवाद, निबंध, नाटक, सरस्वती यात्राएं, समाज उत्पादक कार्य इत्यादि को सम्मिलित कर छात्रों में विभिन्न गुणो को विकसित करने हेतु शुभ अवसर प्रदान किया जाता है, जिसकी सहायता से छात्रों में नागरिकता, राष्ट्र प्रेम समाज कार्य ,नैतिक शिक्षा विश्व बंधुत्व की भावना सहयोग सृजनात्मक एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। इस हम मानव के अधिकारों से संबंधित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता, विचार गोश्ठी, रंगोली, पेंटिंग वाद विवाद इत्यादि के द्वारा जानकारी को प्रदान करने का कार्य करते हैं।

समावेशी शिक्षा– मानवाधिकार मानव का एक ऐसा अधिकार है, जो उसके मानव होने के नाते किसी भी राष्ट्र का संविधान उसे प्रदान करता है। भारतीय संविधान में सभी को शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। जिसमें किसी भी तरह की जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, सामाजिक एवं आर्थिक आधार के भेद के बिना प्रदान करता है, ऐसे में समावेशी शिक्षा शैक्षिक जगत में ऐसा परिवर्तन है, जिसमें सामाजिक आर्थिक शारीरिक मानसिक भेदभाव के बिना सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, आर्थिक रूप से पिछड़े घर के बच्चे एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बीना किसी प्रकार के भेदभाव के समान रूप से एक पाठ्यक्रम के द्वारा एक शिक्षण विधि के द्वारा एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करने की वकालत करता है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास की दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा मानव के अधिकार सरलता के साथ सामान्य को दृष्टि रखते हुए प्रदान किया जाता है। ऐसे पुनीत कार्य में समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थी अपने अधिकारों से परिचित होते हैं एवं लाभ प्राप्त कर समाज में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर अपना योगदान देते हैं।

तकनीकी शिक्षा– आज का मानव अपने जीवन के विविध कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित करने हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर रहा है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि आज मानव के विभिन्न प्रकार के कार्यों में तकनीकी संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण देखने को मिलती है ऐसे में जहां तक मानवाधिकार की बात है यह एक वैश्विक मुद्दा है जिसमें मानव हित ,मानव का संरक्षण, मानव का अधिकार इत्यादि बातों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी कोने में अगर मानव के संरक्षण संवर्धन एवं अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे में उनकी आवाज बनकर तकनीकी संसाधन विश्व के चारों तरफ ऐसी समस्या को सरलता के साथ प्रसारित करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं, यह संसाधन मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या किसी भी क्षेत्र की समस्या किसी व्यक्ति एवं समाज की समस्या को वैश्विक पटल पर लाकर के उसको उजागर करने का कार्य करते हैं इससे मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा सकता है।

विविध शैक्षिक कार्यक्रम– मानवाधिकार व्यक्तियों का एक ऐसा अधिकार है, जो मानव को मानव के रूप में स्थापित करने में सहायता करता है। ऐसे में अगर देखा तो आज शिक्षा के विविध स्तरों पर इससे संबंधित विविध ज्वलंत मुद्दों को आधार बनाकर सेमिनार, कार्यशाला, कॉन्फ्रेंस इत्यादि को सम्मानित किया जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकार के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जन–जन तक मानव के अधिकारों को उन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे मानव समाज अपने विभिन्न अधिकारों से परिचित हो रहा है और अपने अधिकारों का संरक्षण स्वयं करने हेतु इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जोशी, आर पीरू मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अजमेर, अभिनव प्रकाशन।
2. त्रिपाठी, टीपी 2017 मानव अधिकार इलाहाबाद एजेंसी पब्लिकेशन।
3. पांडे, राम सकल, 2001 शिक्षा के मूल सिद्धांत, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर।
4. सिंह, अनिल कुमार, मानवाधिकार शिक्षा एवं आवश्यकता, के पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लंका वाराणसी।
5. कुमार संजीव, विशिष्ट शिक्षा प्रकाशन पटना।

*****